#### <u>न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—550 / 2008</u> <u>संस्थित दिनांक—07.08.2008</u> <u>फाईलिंग क.234503000362008</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — — **अभियोज**न

#### / / <u>विरूद</u> / /

1—कृष्णा पिता जगदीश साहू, उम्र—40 वर्ष, निवासी—ग्राम बोरी, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—लखनलाल पिता जगदीश साहू, उम्र—30 वर्ष, निवासी—ग्राम बोरी, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—लक्ष्मण पिता रायसिंह साहू, उम्र–35 वर्ष, निवासी–ग्राम बोरी, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

4—दौलत पिता गुमान साहू, उम्र—23 वर्ष, निवासी—ग्राम बोरी, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) —

<u>– आरोपीगण</u>

# // <u>निर्णय</u> //

## <u>(आज दिनांक-26/11/2015 को घोषित)</u>

1— आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 (भाग—2), 324 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—21.07.2008 को रात्रि 08:30 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम बोरी में लोकस्थान पर फरियादी नरेन्द्र को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा आहत नरेन्द्र को पत्थर से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित किया।

संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम बोरी रहता है और कृषि कार्य करता है, उनके खानदान का पूर्व से जमीन का विवाद चल रहा है। दिनांक-21.07.2008 को रात्रि करीब 8:30 बजे फरियादी नरेन्द्र कुमार पड़ोस में अपने बड़े पिताजी के यहां टी.वी. देख रहा था, तभी उसके घर से बहन सविता चिल्लाई कि बचाओ कृष्णा, दौलत, लखन, लक्ष्मण पत्थर मार रहें हैं। आवाज सुनकर वह संदीप के साथ बाहर निकला तो कृष्णा, लखन, दौलत, लक्ष्मण घर के सामने खड़े थे और कह रहे थे कि मादरचोद नरेन्द्र बाहर निकल तेरे को जान से खत्म कर देते हैं और पत्थर मारने लगे, तब वह अपना बचाव करते हुए आंगन की छपरी में आया, तभी कृष्णा ने उसे पत्थर फेंककर मारा जो उसके नाक पर लगा, जिससे खून बहने लगा और वह बेहोश होकर गिर गया, तब संदीप, बहन सविता, ललिताबाई, बिसनीबाई ने उसे उठाकर ले गए। आरोपीगण से उसका एक माह पहले भी झगड़ा हुआ था, उसी रंजिश को लेकर उन्होंने पत्थर फेंककर उसे मारे हैं। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध थाना बिरसा में दर्ज करायी गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक-45 / 2008 अंतर्गत धारा-336, 324, 294, 506 भाग-2, 34 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा साक्षियों के कथन लिये गये। पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफतार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 (भाग—2), 324 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

### 4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1— क्या आरोपीगण ने दिनांक—21.07.2008 को रात्रि 08:30 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम बोरी में लोकस्थान पर फरियादी नरेन्द्र को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

- 2— क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- 3— क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत नरेन्द्र को पत्थर से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

# विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

- 5— सविता (अ.सा.८) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह अपने घर पर थी, तभी चारों आरोपीगण उसके घर के अंदर आए और गंदी—गंदी गाली देने लगे, उसे आरोपीगण ने पत्थर से सिर पर मारा था। उसके चिल्लाने पर उसका भाई नरेन्द्र आया तो आरोपी लक्ष्मण ने उसे भी पत्थर से नाक पर मारा था।
- 6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसका भाई नरेन्द्र आरोपीगण की बहन को लेकर वर्ष 2008 में चला गया था और अब तक लौटकर नहीं आया है। आरोपीगण किस बात को लेकर उसके घर झगड़ा करने आए थे, उसे मालूम नहीं है। साक्षी ने यह भी बताया कि उसे ज्यादा चोट न होने से उसका मुलाहिजा नहीं करवाया गया था। इस साक्षी के पुलिस कथन प्रदर्श डी—1 में यह उल्लेख नहीं है कि उसे भी आरोपीगण या आरोपी लक्ष्मण ने पत्थर से मारा था। इस प्रकार साक्षी के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी लक्ष्मण का पत्थर से मारने के संबंध में कथन किया गया है, जिसका उसके पुलिस कथन में लोप होने से साक्षी के कथन इस संबंध में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं कि आरोपी लक्ष्मण ने घटना के समय उसे पत्थर से मारकर उपहित कारित की थी। स्वयं अभियोजन का मामला भी उक्त साक्षी को उपहित कारित करने का नहीं है और न ही उक्त आहत को उपहित कारित करने के संबंध में आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया है।
- 7— लिलताबाई (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक को रात 8—9 बजे आरोपीगण उसके मामा के घर आकर मामा के लड़के नरेन्द्र को पत्थर से मारे थे तथा बुरी—बुरी माँ—बहन की गालियां दे रहे थे, जो सुनने में बुरी लग रही थी। आरोपीगण जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। उक्त साक्षी ने यह भी बताया कि आहत नरेन्द्र को मारपीट करने से नाक के पास चोट आई थी। उक्त साक्षी

ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि आरोपीगण ने उसके मामा और उनके परिवार के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साक्षी के कथन का बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।

- 8— बिसनीबाई (अ.सा.८) ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया कि वह आरोपीगण को नहीं जानती। घटना के समय नरेन्द्र के घर से चिल्लाने की आवाज आई तो उसने जाकर देखा तो वहां खून गिरा हुआ था, नरेन्द्र के सिर से खून निकला था। उक्त मारपीट किसने की है, उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि मौके पर कोई नहीं था। उसके सामने आरोपीगण ने कोई गाली—गलौज नहीं किया था। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन मामलें को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता।
- 9— संदीप (अ.सा.1), जलाबाई (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वे आरोपीगण व प्रार्थी को जानते है। उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।
- 10— डॉ. एम. मेश्राम (अ.सा.5) ने घटना के समय आहत नरेन्द्र को कड़ी एवं बोथरी वस्तु से साधारण प्रकृति की चोट आने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है। यद्यपि स्वयं आहत नरेन्द्र के न्यायालयीन कथन न होने से उक्त चिकित्सीय साक्षी के कथन का अधिक महत्व नहीं रह जाता है।
- 11— आरक्षक नवलिकशोर (अ.सा.६) ने थाना बिरसा से आहत नरेन्द्र को मुलाहिजा हेतु सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बिरसा में ले जाने की अपनी साक्ष्य में पुष्टि की है। सहायक उपनिरीक्षक अन्नीलाल सरयाम (अ.सा.९) ने मामलें में फरियादी नरेन्द्र की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—९ दर्ज किये जाने की पुष्टि की है।
- 12— अनुसंधानकर्ता अधिकारी लिखनलाल पटले (अ.सा.७) ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि उसने दिनांक—20.07.2008 को सालेटेकरी चौकी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर होते हुए अपराध कमांक—45 / 08 की डायरी विवेचना में प्राप्त होने पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी—3 तैयार किया था और फरियादी व साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया। उसने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—5 लगायत प्रदर्श पी—8 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं

किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

13— प्रकरण में साक्षी लिलताबाई (अ.सा.4) को छोड़कर किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया कि आरोपीगण ने घटना के समय फरियादी नरेन्द्र को कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी थी। लिलताबाई (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में आरोपीगण के द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने के कथन किये हैं, किन्तु यह नहीं बताया कि उक्त धमकी किसे दी गई थी। मामलें में घटना के तत्काल पश्चात् थाना बिरसा में रिपोर्ट किया जाना प्रकट होता है। ऐसी दशा में यह नहीं माना जा सकता कि आरोपीगण की कथित जान से मारने की धमकी दिए जाने के परिणाम स्वरूप फरियादी को संत्रास कारित हुआ या वह भयभीत हो गया। स्वयं फरियादी नरेन्द्र की साक्ष्य न होने से उक्त तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता। ऐसी दशा में आरोपीगण के द्वारा फरियादी नरेन्द्र को जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में कथित आपराधिक अभित्रास का अपराध स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

14— अभियोजन की ओर से फरियादी नरेन्द्र को न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में पेश नहीं किया गया है, जिस कारण उक्त महत्वपूर्ण साक्षी जो स्वयं फरियादी एवं आहत भी रहा है, के कथन अभाव में उसे कारित हुई कथित साधारण चोट के संबंध में अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण के कथन एवं चिकित्सीय साक्षी के कथन मात्र आहत नरेन्द्र को घटना के समय आरोपी लक्ष्मण के पत्थर मारने की पुष्टि के रूप में ग्राह्य किये जा सकते हैं, किन्तु स्वयं आहत नरेन्द्र के साक्षी के रूप में उक्त तथ्य को प्रमाणित नहीं किया जाने से उसे आई उपहित के तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। आहत नरेन्द्र को अभियोजन की ओर से पेश न करने के कारण भी बचाव पक्ष को उसके प्रतिपरीक्षण का अवसर भी प्रदान नहीं हुआ है। ऐसी दशा में आहत नरेन्द्र की साक्ष्य के अभाव में उसे कथित उपहित कारित करने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं है और न ही साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित है कि उसे आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

15— अभियोजन की ओर से घटना के चक्षुदर्शी साक्षी फरियादी नरेन्द्र की बहन सविता (अ.सा.८) ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से बताया कि आरोपीगण ने घटना के समय दाई—मेहतारी की गंदी—गंदी गालियां दी थी। इस साक्षी के कथन का समर्थन

करते हुए लिलता बाई (अ.सा.4) ने भी अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि आरोपीगण उक्त घटना के समय बुरी—बुरी मॉ—बहन की गालियां दे रहे थे, जो उन्हें सुनने में बहुत बुरी लग रही थी। घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—3 में भी वह स्थान, जहां से गाली—गलौज की गई, वह रास्ते के रूप में दर्शित किया गया है और आस—पास फरियादी व अन्य लोगों का मकान स्थित होना प्रकट होता है। इस प्रकार घटनास्थल लोकस्थान के रूप में प्रमाणित है, जिसका बचाव पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है और न ही इस तथ्य का खण्डन किया गया है कि आरोपीगण ने कोई गाली—गलौज नहीं की। इस प्रकार घटना के समय आरोपीगण के द्वारा फरियादी नरेन्द्र को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया जाना प्रमाणित है।

16— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन यह प्रमाणित किया है कि आरोपीगण ने घटना के समय फरियादी नरेन्द्र को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर दूसरों को क्षोभ कारित किया। शेष अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। फलतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324, 506 (भाग—दो) के अन्तर्गत दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

17— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थिगत किया गया।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

#### पश्चात्-

18— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2008 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दिण्डत कर छोड़ा जावे।

19— मामले में आरोपीगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है तथा वह मामले में वर्ष 2008 से लगातार विचारण का सामना कर रहें है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दिण्डत किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294 के अपराध के अंतर्गत 500/—, 500/—(पांच—पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से कुल राशि 2,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपीगण को एक—एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

20— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है।

21— प्रकरण में जप्तशुदा एक छोटा पत्थर मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अती) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट